

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारासमगढ, जिला जयपुर

सियाराम

बनाम

कल्याण वगै०

फर्दमा संख्या : 238 / 2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी कल्याण, सुखा, अशोक स्वयं उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली इन्तजार शेष अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 26.08.2025 को पेश हों।	
26.08.2025	उपखण्ड अधिकारी जमवारासमगढ जिला-जयपुर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उनवानी दावे को दिनांक 20.09.2019 को मान्य न्यायालय द्वारा उपस्थिति के अभाव में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। विगत सन 2019 में महामारी कोरोना काल में उसी दौरान प्रार्थी के गम्भीर बिमारी के कारण प्रार्थी वादी पीडित हो गया, बीमारी के दौरान ही प्रार्थी चलने फिरने की क्षमता कम हो गई। ऐसी स्थिति में वादी अदालत में हाजिर नहीं हो सके एवं वादी को उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहने की निश्चित जानकारी नहीं रही है। प्रार्थी वर्तमान में भी चलने फिरने व खड़े होने में पूर्णतया असमर्थ है। प्रार्थी के परिवारजन का मानसिक सन्तुलन कतई ही बिगड़ जाने से प्रार्थी ने उक्त प्रकरण की कोई जानकारी अपने वकील से प्राप्त नहीं कर पाये तथा प्रार्थी को उक्त मुकदमें के खारिज होने की जानकारी नहीं रही है। जिसके चलते उक्त प्रकरण को अन्दर मियाद रेस्टोर भी नहीं कराया जा सका। अतः प्रार्थी का रेस्टोर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 20.09.2019 के आदेश को मन्सूख किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण मूल वाद को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जावें। वकील प्रार्थी की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोर प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का रेस्टोर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उनवानी प्रकरण सं० 94/2015 उनवान सीयाराम बनाम कल्याण वगै० मे आदेश दिनांक 20.09.2019 को मन्सूख किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः दर्ज कर सुनवाई हेतु पक्षकारान को तलबी जारी की जावें। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति मूल वाद के साथ हमफिता हों।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारासमगढ जिला-जयपुर